

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 82 / 2023

तारीख रजू :- 21-6-2023

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मिशाल आई0डी0 नम्बर 2023/184

रेवती पुत्र जवालीराम जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी खातीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—वादीगण—07

बनाम

रामनिवास पुत्र कल्याण जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी खातीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण—10

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

21.6.23 यह दावा वादी की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.07.2023 को पेश हो।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

27/7/23

पत्रावली पेश हुई वकूलाय

उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार

वास्ते.....~~अज्ञात~~.....~~जवाब~~

दिनांक...11.12.23 को पेश हो।

19/2/23 पत्रावली आज मिशाल तलवी के आंगण पर पेश हुई। वादी व वादीगण वकील उपस्थित। वादी व वादीगण वकील ने अनमत कराया कि वादी व वादीगण वकील उपस्थित आगे नहीं चलना चाहते हैं। वादी व वादीगण वकील नेट उम्र के आशिक करना चाहे हैं। मतः मुं नं० 82/2023 दावा रेवती बनाम रामनिवास नेट उम्र के आशिक किया जाता है। पत्रावली केवल सुरेश कुमार वीकर नम्बर 21 कमर्ची।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)